

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 16, गुरुवार, शाके 1947- अगस्त 07, 2025 <i>Sravana 16, Thursday, Saka 1947- August 07, 2025</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 10, 2025

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4(1))

संख्या 16470821 :-माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार बजट घोषणा सं. 196.19/2024-25 के तहत स्वीकृत कार्य सीकर रोड पर जैतपुरा से जयसिंहपुरा बाईपास निर्माण घोषणानुसार 16.00 किमी. लम्बाई में घोषणा की गई थी। उक्त बाईपास निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्रीमान मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक F-7(319)/A&F/Sec-II/2024-25/D-06-07 दिनांक 01.04.2025 राशि रुपये 40.30 करोड़ की प्राप्त हुई है।

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (गुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार सीकर रोड पर जैतपुरा से जयसिंहपुरा बाईपास निर्माण हेतु 16.00 किमी. लम्बाई में से लगभग 14.00 किमी. में ही भूमि अवाप्ति की जानी है।

ग्राम - रामपुरा, भट्टों की गली, चिमनपुरा, जाहोता, गुवारड़ी, नाड़ा व बिहारीपुरा में भूमि अवाप्ति किये जाने के प्रयोजन से जिला जयपुर में होना है। प्रस्तावित भूमि अवाप्ति में प्रभावित गांव निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	जिला	तहसील	आरआई	हल्का का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6
1	जयपुर	रामपुराडाबड़ी	जाहोता	रामपुराडाबड़ी	रामपुरा
2			जाहोता	भट्टों की गली	भट्टों की गली
3			जाहोता	भट्टों की गली	चिमनपुरा
4			जाहोता	जाहोता	जाहोता
5		जालसू	जालसू	सिरसली	नाड़ा
6			जालसू	सिरसली	बिहारीपुरा
7		चौमू	कालाडोरा	जयसिंहपुरा	गुवारड़ी

विभाग द्वारा ग्राम - रामपुरा, भट्टों की गली, चिमनपुरा, जाहोता, गुवारड़ी, नाड़ा व बिहारीपुरा में उक्त बाईपास निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति किये जाने के प्रयोजन से जिला, जयपुर में होना है। उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जावेगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समचित सभा तत्पश्चात् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जावेगा।
3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबंधित पंचायत, नगर परिषद के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
मैसर्स थोट कन्सलटैन्ट जयपुर प्रा० लि०,
1 डीए 15, जवाहरनगर
जयपुर-302004

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
अधिशाषी अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड फुलेरा।

आर.के.लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।